क्रमांक 150/बो.प्र./नि.स./2019/
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /12/2019

अपीलार्थी परमेश्वरी पैंकरा पिता श्री रघुवीर सिंह ग्राम कसडोल (हड़हापारा) जिला बलौदाबाजार–भाटपारा	**— विरुद्ध —**	**प्रतिअपीलार्थी** **श्री लाल बहादुर शाह** **जन सूचना अधिकारी** **कार्यालय प्रमुख अभियंता** **जल संसाधन विभाग** **छत्तीसगढ़, रायपुर**

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत परमेश्वरी पैंकरा पिता श्री रघुवीर सिंह ग्राम कसडोल (हड़हापारा) जिला बलौदाबाजार–भाटपारा द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.12.2019 द्वारा अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2019 द्वारा वांछित जानकारी प्रदाय करने हेतु जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर को आवेदन पत्र दिये थे। अपीलार्थी द्वारा उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय से जानकारी प्राप्त न होने के कारण व्यथित होकर प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रथम अपील आवेदन–पत्र दिनांक 10.12.2019 को प्रस्तुत किया गया।

2 प्रकरण के अवलोकन एवं अध्ययन पश्चात् उभय पक्षों को सुनवाई हेतु पत्र क्र. 116098/16099, दिनांक 16.12.2019 द्वारा प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक 27.12.2019 को समय दोपहर 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में उपस्थित होने हेतु पत्र जारी किया गया था। उक्त पत्र के पालन में प्रकरण की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए।

3. श्री लाल बहादुर शाह, जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक के पत्र दिनांक 21.10.2019 के द्वारा चाही गई वांछित जानकारी के संबंध में इस कार्यालय के संबंधित कक्ष (स्थापना–331–332) के द्वारा की गई कार्यवाही बाबत्, प्राप्त जानकारी से कार्यालयीन पत्र क्रं. सू.प्र. /4112275/108/छ.ग./2019/15515 दिनांक 04.12.2019 द्वारा आवेदक जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसके अनुसार संबंधित मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर को तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन हेतु लेख किया गया है। अपीलार्थी मुख्य अभियंता को लिखे गये पत्र से सहमत है, परंतु त्वरित कार्यवाही नहीं किया जाना तथा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे वे असंतुष्ट है।

4 चूँकि आवेदक/अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही गई जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है। अतः प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण किया जाकर अपील प्रकरण निराकृत किया जाता है।

हस्ता/–

(व्ही.के. वच्छानी)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नया रायपुर

C:\Users\user\Desktop\Suchna ka Adhikar.doc

पृ. क्रमांक 150/बो.प्र./नि.स./2018/17544 दिनांक 30/12/2019

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, डाटा सेंटर रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग (RTI) बेबसाईट में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री लाल बहादुर शाह, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. परमेश्वरी पैंकरा पिता श्री रघुवीर सिंह ग्राम कसडोल (हड़हापारा) जिला बलौदाबाजार–भाटपारा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(व्ही.के. वच्छानी)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर